प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Pipeline/60933/2020

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक –3253/27–4 फतेहपुर, दिनांक – 18 /05/2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय :– जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 किमी 0.3450 हे0 संरक्षित वन भूमि में एच.डी.डी तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 12" (300एमएम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3450 हे0 के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या – 1258/81–2–2021–800(44)/2021 दिनांक 11.11.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1489/11–सी दिनांक 12.11.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 19 बिन्दुओं के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2235/27–4 दिनांक 16.02.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करवाते हुये उसकी हार्ड कापी पांच प्रतियों में मय संलग्न इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को मांग पत्र जारी किया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है। जो इस पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार है –

क्र.	सैद्धांतिक स्वीकृति मे निहित शर्त	अनुपालन आख्या
1	सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।	बिन्दु संख्या –1 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।
2	भूमिगत पाइप लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेगें।	बिन्दु संख्या –2 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।
3	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज 2.00 मी गहराई 1.00 मी0 चौड़ाई से अधिक न होगी।	बिन्दु संख्या –3 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।
4	प्रस्तावत एजेन्सी द्वारा खेदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की संम्भावना न हो।	बिन्दु संख्या –4 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	बिन्दु संख्या –5 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।
6	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुनः लाने व वनों एवं र्प्यावरण में हाने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	बिन्दु संख्या –6 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।
7	प्रस्ताव विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	बिन्दु संख्या –7 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नही दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	बिन्दु संख्या –8 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 666 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/200/एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध	बिन्दु संख्या – 9 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना में प्रभावित हो रही 0.3450 हे0 संरतिक्षत वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि 215970.00 (रुपया दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ सत्तर

	वर्तमान मूल्य एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Managemdnt and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	रुपये मात्र) परिवेश पोर्टल द्वारा जानरेट चालान के माध्यम से UTR No - INDB132900361780 दिनांक 26.11.2021 को जमा कर दिया गया है। आनलाइन चालान की प्रति संलग्न है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्ण भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	बिन्दु संख्या –10 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भू–स्वामी की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली गयी है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	बिन्दु संख्या –11 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.8.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गयाहै।	आवश्यकता नही है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	बिन्दु संख्या –13 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	बिन्दु संख्या –14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया प्राप्त कर लिया गया है जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करली गयी हैं।	बिन्दु संख्या –15 के अनुपाल में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि पर कोई भी सेन्चुरी/नेशनल पार्क नही जिसका प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16	समस्त वैधानिक प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	बिन्दु संख्या –16 के अनुपाल में प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	परियोजना में 12 इंच (300 एम.एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वनविभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	बिन्दु संख्या – 17 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना में प्रभावित हो रही 0.3450 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि 215970.00 (रुपया दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ सत्तर रुपये मात्र) परिवेश पोर्टल द्वारा जानरेट चालान के माध्यम से UTR No - INDB132900361780 दिनांक

		26.11.2021 को जमा कर दिया गया है। आनलाइन चालान की प्रति संलग्न है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	बिन्दु संख्या –18 के अनुपाल में प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न कर प्रेषित किया जा चुका है।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है	शर्त संख्या–19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 20 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रुपया 93,60,000/-दिनांक 7 जुलाई 2010 को प्रभागीय निदेशक कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, जनपद–गाजियाबाद में जमा कराई जा चुकी है (प्रतिलिपि संलग्न)
	(1) सी०एन०जी०/गैस पाईपलाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाईपलाईन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू होगी।	
	(2) ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाईपलाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतुपाईप लाईन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यत या दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैरवनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख–रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिरिक्त नवीन शर्त के रू‍प में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपणमें व्यय किया जायेगा।	

संलग्नक :– यथेपरि।

भवदीय

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
@ फतेहपुर

संख्या – 3953 / समदिनांक –

प्रतिलिपि चीफ रिजनल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कानपुर(पार्ट) फतेहपुर एवं हमीरपुर 808–810, 8वां फ्लोर ए 14/13 कान चैबेंर सिविल लाइन्स कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
@ फतेहपुर

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL, (India) Ltd. BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref.:- IGL/PIPELINE/EAST/UP/FATEHPUR/FOREST/14

Date:- 24.12.2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

विषय: जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12'' (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Pipeline/60933/2020)

सन्दर्भ: आपका पत्रांक संख्या– 1413/27–4 फतेहपुर, दिनांक 15/11/2021 एवं अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक – 1258/81–2–2021–800(44)/2021 दिनॉक– 11.11.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार निस्तारण:–

कमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत पाइपलाइन / मार्गों / सड़कों / वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन / मार्गों / सड़कों / वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछायी जायेगी।
3	पाइपलाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज 2.0 मीटर गहराई और 1.0 मीटर चौड़ाई से अधिक न होगी।	याचक विभाग द्वारा पाइपलाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज 2.0 मीटर गहराई और 1.0 मीटर चौड़ाई से अधिक न होगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनवद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	याचक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ यह वचनवद्धता संलग्न की गयी है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या –566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर, उ0प्र0, के पत्र सं0 – 1413/27–4 फतेहपुर, दिनांक 15/11/2021 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.3450 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशी रु 2,15,970/– (दो लाख पंद्रह हजार नौ सौ सत्तर मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 26.11.2021 को जमा करा दी गयी है तथा ऑन–लाइन चालान की प्रति संलग्न है।

14/02/2022

IGL Bhawan, Plot No.4. Community Center, R.K Puram, Sector- 9, New Delhi 110 022
Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net
CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation

10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा भू–स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नही है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रकियाधीन है।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	याचक विभाग द्वारा भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नही है, जिसका प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना में 12 इंच (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर, उ0प्र0, के पत्र सं0 – 1413/27–4 फतेहपुर, दिनांक 15/11/2021 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.3450 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशी रु 2,15,970/– (दो लाख पंद्रह हजार नौ सौ सत्तर मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 26.11.2021 को जमा करा दी गयी है तथा ऑन–लाइन चालान की प्रति संलग्न है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ वचनबद्धता संलग्न है।

19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है:–	
19 (i)	सी0एन0जी0/गैस पाइप लाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाइप लाईन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।	याचक विभाग द्वारा उ0 प्र0 शासन की पत्र सं0– जी0आई0–196/14–2–2010–1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद में किसी एक स्थान पर कुल 20 कि.मी. तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रू0 93,60,000/–(तिरानवे लाख साठ हजार मात्र) ड्रॉफ्ट सं0 017022 (रू 90,00,000/–) एवं 017024 (रू 3,60,000/–) दिनांक 07.07.2010 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
19 (ii)	ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाइप लाईन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाईन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 5 वर्ष तक के रख–रखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	याचक विभाग, सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 गैस पाइप लाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइप लाईन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है। अतः लागू नहीं होता है।
20	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दू पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रस्ताव के साथ सुसंगत प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग की अनुमति जारी करने की कृपा करे।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, प्रयागराज।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL, (India) Ltd. BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– **FP/UP/Pipeline/60933/2020**

<u>वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–1</u>

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
INDRAPRASTHA GAS LIMITED

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No.4. Community Center, R.K Puram, Sector- 9, New Delhi 110 022
Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net
CIN : L23201DL1998PLC097614
An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL, (India) Ltd. BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– FP/UP/Pipeline/60933/2020

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–2

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन / मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछायी जायेगी।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No.4. Community Center, R.K Puram, Sector- 9, New Delhi 110 022
Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net
CIN : L23201DL1998PLC097614
An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– FP/UP/Pipeline/60933/2020

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–3

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सी0एन0जी0 / पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.0 मीटर और चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।

Rama

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL, (India) Ltd. BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– **FP/UP/Pipeline/60933/2020**

<u>वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–4</u>

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

Rama

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL, (India) Ltd. BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– **FP/UP/Pipeline/60933/2020**

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–5

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No.4. Community Center, R.K Puram, Sector- 9, New Delhi 110 022
Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net
CIN : L23201DL1998PLC097614
An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
(A Joint Venture of GAIL, (India) Ltd. BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– **FP/UP/Pipeline/60933/2020**

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–6

याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनवद्धता दी जाती है।

Rama

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– **FP/UP/Pipeline/60933/2020**

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–7

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– **FP/UP/Pipeline/60933/2020**

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

Rama

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL, (India) Ltd. BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

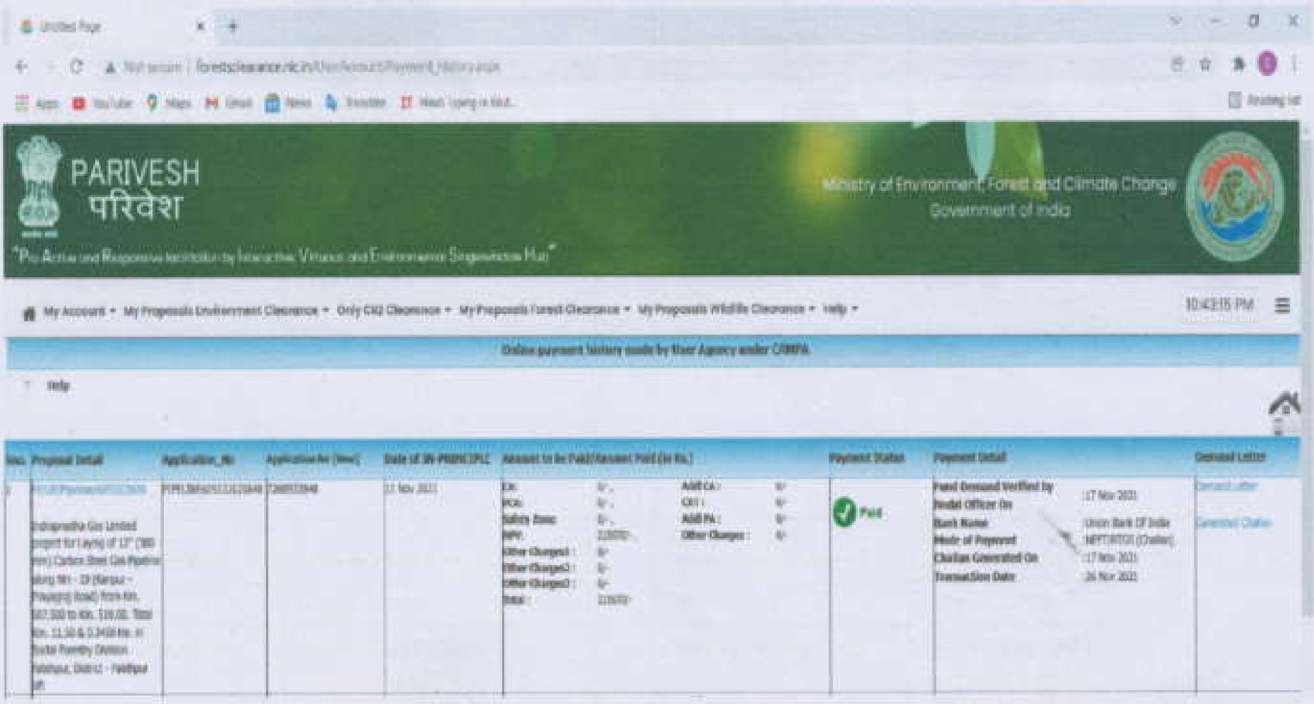

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager
INDRAPRASTHA GAS LIMITED

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-11-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA. GAS LTD.
Application No.	7260933848
MoEF/SG File No.	1258/81-2-2021-800(44)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	IGL Bhawan, Plot No. - 4, Community Centre, R. K. Puram, Sector - 9, New DelhiSouth West
Amount(in Rs)	215970/-

Amount in Words :Two Lakh Fifteen Thousand Nine Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150907260933848 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-11-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA. GAS LTD.
Application No.	7260933848
MoEF/SG File No.	1258/81-2-2021-800(44)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	IGL Bhawan, Plot No. - 4, Community Centre, R. K. Puram, Sector - 9, New Delhi South West
Amount(in Rs)	215970/-

Amount in Words :Two Lakh Fifteen Thousand Nine Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150907260933848 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(For Linear Projects)

Govt. of Uttar Pradesh

Office of the District Collector, Fatehpur (U.P.)

No. 3237/27-4

Dated:- 13-05-2022

To Whomsoever It May Concern

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF), Government of India letter No. - 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August, 2009 and dated 5th February, 2013 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ("FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modification of above said letter, MoEF exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers in case of linear projects vide ministry of environment and forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 28-10-2014.

It is further certified that –

a) An area of 0.3450 Hectare of protected forest land is proposed to be diverted for non-forestry purpose in favor of Indraprastha Gas Limited, for laying of 12" (300 mm) Carbon Steel Gas Pipeline along with below roads ROW in Social Forestry Division of Fatehpur district.

   1. At NH - 19 (Kanpur - Prayagraj Road) from Km. 507.500 to Km. 519.00. Total Km. 11.50 & 0.3450 Ha. of protected forest land.

b) The proposal does not affect the recognized rights and interests of primitive Tribal Groups or Pre Agricultural Communities, as those are having no recorded population in the above stated region of the protected forest land.

c) The forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 is located in villages having no recorded population of Scheduled tribes as per census 2001 and the census 2011. The requirement of forest land as proposed by the user agency is barest minimum.

13/05/2022

District Magistrate
Fatehpur

जिलाधिकारी
फतेहपुर

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
(A Joint Venture of GAIL, (India) Ltd. BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 कि.मी. में एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सख्या– **FP/UP/Pipeline/60933/2020**

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–16

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

61-360

प्रेषक,

संख्या- /14-2-2010

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ दिनॉक 07 जनवरी 2011

विषयः सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने के शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-689/14-2-2009, दिनांक 25-6-2010 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(1)- सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाईप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय,शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है,उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू रहेगी।

(2)- ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाईप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को शर्त [illegible] में [illegible] स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत [illegible] दुगुने [illegible] वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश संशोधित पढ़ा जाय।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

58

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1776 **Date: 7 July 2010**

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1 (Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghazipur

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of **Rs.93.60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only)**.

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July 2010 of Rs.**3,60,000/-** against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,

7/7/10
SFD 923.

Yours Sincerely,

Vikas Bansal
Chief Manager

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर-

Encl: Demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/-

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 74 / 22-1 दिनांक गाजियाबाद 3 जुलाई, 2010

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई0सी0एल0 भवन,
प्लाट नं0–4, आर0के0 पुरम,
सेक्टर–9, नई दिल्ली।

विषयः गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाहे से महामाया स्टेडियम तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भः उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–जी0आई0–196 / 14–2–2010–1017 / 10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश जो मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के बिन्दु सं0–15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति कि0मी0	वांछित धनराशि
1	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	रू0 4,50,000 / –	रू0 90,00,000 / –
2	प्रशासनिक व्यय	4 प्रतिशत	रू0 3,60,000 / –
	कुल योग :–		रू0 93,60,000 / –

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Pipeline/60933/2020

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उलंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के कि.मी. 507.50 से कि.मी. 519.00 कुल लम्बाई 11.50 किमी 0.3450 हे0 संरक्षित वन भूमि में एच.डी.डी तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 12" (300एमएम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3450 हे0 के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उलंघन नहीं किया गया है।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Prapatra-1

S. No	Details	Compliance
1	**2**	**3**
1	CA amount as per proposal	Rs. 00.00
2	CA amount deposited	Rs. 00.00
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	0
5	NPV amount as per proposal	Rs. 215970.00
6	NPV amount deposited	Rs. 215970.00
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	0
9	Any other amount deposited- (Plantation and 10 years maintenance of dwarf plants under transmission line)	Rs. 0.00
10	CAMPA confirmation	Payment has been made through E-Payment by UTR No - INDB132900361780 Date – 26.09.2021 in CAMPA fund, CAMPA confirmation receipt enclosed here with us.

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रभागीय निदेशक
सा०वानिकी एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, वी.आई.पी. रोड, सिविल लाईन्स, फतेहपुर उत्तर प्रदेश 212601
05180-224493 dfofatehpur@gmail.com